कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) 490023

फोन नं – 0788–2350125 ई–मेल : Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in

क्रं./एफ– /सा.प्र.वि./शि.जा./2026/543 भिलाई, दिनांक 10/04/2026

//आदेश//

कार्यालय खाद्य नियंत्रक दुर्ग को कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई, जोन कमांक–05 द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 366 दिनांक 10.01.2025 के माध्यम से 12 नग कूटरचित बी.पी.एल. राशनकार्ड फर्जी तरीके से बनाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई के पत्र कमांक 1308 दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से सहायक राजस्व अधिकारी श्री अनिल मेश्राम द्वारा उनके हस्ताक्षर नहीं होना उल्लेखित करते हुये फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्तियों एवं संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही का प्रस्ताव जोन आयुक्त जोन कमांक 05 को प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई जोन कमांक 05 के पत्र कमांक 1301 दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन पर कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा उपरोक्त 12 कूटरचित राशनकार्डो को विभागीय वेबसाईट से निरस्त किया गया है तथा जोन आयुक्त जोन कमांक 05 के प्रस्ताव पर श्री दुर्योधन राम साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक जोन कमांक 05 के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा कारण बताओं सूचना कमांक 709 दिनांक 25.04.2025 जारी किया गया, श्री साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर नोटिस कमांक 877 दिनांक 04.07.2025 के माध्यम से पुनः कारण बताओं सूचना जारी की गयी, जिस पर श्री साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब नितांत असंतोषजनक पाये जाने के कारण दिनांक 06.08.2025 को श्री दुर्योधन राम साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध आरोप–पत्र जारी किया गया, श्री साहू द्वारा आरोप–पत्र का जवाब दिनांक 13.08.2025 को प्रस्तुत किया गया, उक्त जवाब संतोषजनक नहीं होने से इस कार्यालय के आदेश कमांक 1204 दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे, उपायुक्त, नगरपालिक निगम भिलाई को विभागीय जांच अधिकारी एवं श्री दुर्गा प्रसाद नायक, लेखापाल, जोन कमांक 05 नगरपालिक निगम भिलाई को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जांच अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे, उपायुक्त, नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा दिनांक 30.03.2026 को विभागीय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गवाह कमांक 02 श्रीमती कविता यादव के बयान एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर अपचारी शासकीय सेवक श्री दुर्योधन राम साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध आरोप सिद्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

विभागीय जांच प्रतिवेदन एवं अपचारी कर्मचारी द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत जवाब के परिशीलन से श्री दुर्योधन राम साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक जोन कमांक 05 नगरपालिक निगम भिलाई का आचरण नितांत संदिग्ध एवं आचरण नियमों के विपरीत प्रतीत होता है। श्री साहू द्वारा अपने जवाव में उपरोक्त फर्जी बी.पी.एल. राशनकार्ड किसी निजी व्यक्ति अभिजीत दास द्वारा जारी किया जाना उल्लेखित किया गया है, जो कार्यालयीन प्रक्रिया एवं नियमों का गंभीर उल्लंघन है। श्री साहू द्वारा उपरोक्त निजी व्यक्ति के नाम का बार–बार उल्लेख अपने जवाब में किया गया है किन्तु कार्यालय प्रमुख अथवा स्थानीय पुलिस थाना को उसके विरूद्ध कोई शिकायत श्री साहू द्वारा नहीं किया जाना फर्जी बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी किये जाने में उनकी संलिप्तता को प्रकट करता है।

अतः विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विभागीय जांच प्रतिवेदन एवं उपरोक्त विवेचना अनुसार श्री दुर्योधन राम साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक, जोन कमांक 05 नगरपालिक निगम भिलाई के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सही पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत (छः) में उल्लेखित प्रावधान में "अवनत करके वेतन के निम्नतर समयमान में, निम्नतर ग्रेड में, निम्नतर पद पर, निम्नतर सेवा में लाया जाना जो शासकीय सेवक को पदोन्नत करके वेतन के उस समयमान में उस ग्रेड में, या उस सेवा में जिससे कि वह अवनत किया गया था, लाये जाने की साधारणतः रोक करेगा, उस ग्रेड या पद या सेवा पर जिससे कि शासकीय सेवक अवनत किया गया था, पुनः स्थापित किये जाने की शर्तों के संवंध में तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर इस प्रकार से पुनःस्थापित हो जाने पर उसकी ज्येष्ठता तथा वेतन के संवंध में और निर्देशों के सहित या रहित;" के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रक्रिया में अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने तथा आचरण अत्यंत संदेहास्पद होने से उनके विरूद्ध "दीर्घशास्ति" अधिरोपित करते हुए श्री दुर्योधन राम साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक को उनकी पदोन्नति के पूर्व कार्यरत् मूलपद सफाई कामगार पद पर पदावनत किया जाता है तथा जोन कमांक 02 में आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ– /सा.प्र.वि./शि.जा./2026/544 भिलाई, दिनांक 10/04/2026

प्रतिलिपि :–

1. महापौर, नगरपालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त I/II, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 5 नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक स्थापना, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेवसाईट में अपलोड करने हेतु।
10. श्री दुर्योधन राम साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई